

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 9, 1976/पौष 19, 1897

No. 24]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 9, 1976/PAUSA 19, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 9th January 1976

S. O. 33 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely—

1. This Order may be called the Exports (Control) Second Amendment Order, 1976.
2. In the Exports (Control) Order, 1968, Schedule I, Part 'B' after item No. 130 the following item shall be added :

“131—Goat Hair Patties”.

3. In the Exports (Control) Order, 1968, in O.G.L. 4 after item No. 26, the following shall be added :

1	2	3	4
27	Goat Hair Patties	B. 131	Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited, New Delhi.

[No. E (C) O, 1968/AM (181)]

D. D. JOSHI,

Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य संत्राजय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1976

का० छा० 33(अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश की रचना करती है :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1976 की संज्ञा दी जाए।
2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची 1, भाग “बी” में मद संख्या 130 के बाद निम्नलिखित मद को जोड़ा जाएगा :—

“131 —बकरे के बाल की पट्टियां।”

3. निर्यात (नियंत्रण) आदेश 1968 में खुले सामान्य लाइसेंस संख्या 4 में मद संख्या 26 के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

1	2	3	4
27	बकरे के बाल की पट्टियां	बी. 131	हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम भारत लि० नई, दिल्ली

[सं० ई (सी) ओ, 1968/ए एम (181)]

डी० डी० जोशी,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।